



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166195

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-
7692/2026**

राजू विश्वकर्मा

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अजय कुमार मिश्रा

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- 1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं।
- 2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 262 वर्ष 2025, गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5-क/5-ख/8 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 एवं बी.एन.एस., 2023 की धारा 325, थाना-सैय्यदराजा, जनपद-चंदौली, में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
- 3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की मांग करता है:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



i)- एक महिन्द्रा पिकअप वाहन को पुलिस द्वारा रोका गया तथा उक्त वाहन से नौ गाय बरामद की गईं जिनमें से चार गाय मृत पाई गईं।

ii)- आवेदक को केवल इस आधार पर प्रकरण में संलिप्त किया गया है कि उसे उक्त वाहन का स्वामी बताया गया है।

iii)- आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

iv)- सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य ठोस साक्ष्य नहीं है।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है तथा तर्क दिया है कि प्रश्नगत गायों के परिवहन के दौरान उनके साथ अत्यधिक क्रूरता की गई, जिसके परिणामस्वरूप चार गायों की मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि इससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि गायों को वध के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। उक्त प्रयोजन के लिए आवेदक के स्वामित्व वाले वाहन का प्रयोग किया गया था, जिससे आवेदक की संलिप्तता स्थापित होती है। तथापि, वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

5- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है।

6- आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। केवल एक वाहन नौ गायों को ले जाते हुए पाया गया, जिनमें से चार मृत पाई गईं। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल संदेह के आधार पर आया है, क्योंकि उसे उक्त वाहन का स्वामी बताया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। प्रश्नगत वाहन से ऐसा कोई उपकरण बरामद नहीं हुआ है, जिसका प्रयोग वध के लिए किया जा सकता हो।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7- उपर्युक्तानुसार विवेचित प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय प्रथमदृष्टया इस मत का है कि आवेदक ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनाया है।

8- आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9- आवेदक-राजू विश्वकर्मा, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- i- आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;
- iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा;
- iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

10- उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

6 अगस्त, 2026

श्वेता

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”